न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), सहारनपुर।

वाद संख्या 1280/2022 (CNR NO. UPSP05-002201-2022)

श्रीमती शमशीदा खातून बनाम रूखसाना खातून

21.12.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर पक्षकार विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुलहनामा कागज संख्या 15क–1 पर पूर्व नियत तिथि सुना जा चुका। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

पक्षकारों की ओर से सुलहनामा कागज संख्या–15क–1 दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त वाद में पक्षकारगणों के मध्य सुलह इस प्रकार से करा दी है कि वादनी व प्रतिवादनी आपस में सगी जेठानी व देवरानी है। प्रतिवादनी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रतिवादनी ने प्रश्नगत सम्पत्ति में से अपना 1@3 दक्षिण हिस्सा वादिया को हिबा जुबानी दिनांक 19.11.2005 को कर दिया था और बख्श दिया था। वादिया ने हिबा जुबानी को कबूल व मंजूर करके मौके पर अपना कब्जा मालकाना प्राप्त कर लिया था। और प्रतिवादनी ने वाकई मौके पर वादिनी का कब्जा मालकाना करा दिया था और वादिनी दिनांक 19.11.2005 से ही कुल सम्पत्ति पर मालिक काबिज चली आ रही है। जिससे प्रतिवादनी या उसके वारसान का कोई ताल्लुक या वास्ता प्रश्नगत सम्पत्ति से नही रहा था। प्रतिवादिया को वादिनी का वाद डिक्री होने में कोई आपत्ति नही है। खर्चा पक्षकारगण अपना–अपना वहन करेगे। प्रार्थना की गयी है कि वाद उपरोक्त को सुलहनामे के अनुसार तय फरमाया जाकर डिक्री का भाग बनाया जाये।

प्रार्थी के कथनानुसार बजरिये हिबा जुबानी के आधार पर वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति पर काबिज दाखिल है।

सुलहनामा की शर्तो को पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया गया। वादिनी श्रीमती शमशीदा खातून को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मुंतजिर अली एडवोकेट एवं प्रतिवादी श्रीमती रूखसाना खातून को उनके विद्वान अधिवक्ता मनसूब अली एडवोकेट द्वारा शिनाख्त किया गया है। सुलहनामा कागज संख्या–15क–1 को उभयपक्षों को पढकर सुनाया व समझाया गया तथा पक्षकार व उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। प्रस्तुत वाद सुलहनामा कागज संख्या–15क–1 की शर्तो के अधीन निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या 1280/2022 श्रीमती शमशीदा खातून बनाम रूखसाना खातून दाखिल सन्धिपत्र कागज संख्या 15क–1 के आधार पर निम्न शर्तो के अधीन निर्णीत किया जाता है।

1– सन्धिपत्र कागज संख्या 15क–1 केवल उपस्थित पक्षकारो पर लागू होगा।

2– यदि प्रश्नगत सन्धिपत्र के अन्तर्गत सम्पत्ति का अन्तरण अन्तरवलित होगा और उस अन्तरण पर नियमानुसार कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क देय होगा, तो प्रश्नगत आदेश उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क नियमानुसार दिये जाने के पश्चात ही प्रभावी समझा जायेगा।

3– वादपत्र मे वर्णित विषय वस्तु से भिन्न होने पर उक्त सन्धिपत्र प्रभावी नही होगा तथा सुलहनामा की शर्त यदि किसी वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विपरीत हो तो उस सीमा तक यह सुलहनामा शून्य होगा।

4— उक्त सन्धिपत्र कागज संख्या 15क—1 का किसी भी न्यायालय की कार्यवाही पर व प्रश्नगत सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विवाद पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

5— उक्त सन्धिपत्र के माध्यम से यदि किसी तृतीय पक्ष का हित प्रभावित होता है तो उक्त सन्धिपत्र प्रभावी नही होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकारो द्वारा प्रकरण मे किसी प्रकार का तथ्य गोपन किया गया होगा तो उक्त तथ्य के संज्ञान मे आते ही प्रश्नगत आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

सुलहनामा कागज संख्या—15क—1 डिक्री का अंश रहेगा। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करेगे। उक्त सुलहनामा कागज संख्या—15क—1 विधि के उपबन्धों के अधीन प्रभावी होगा।

(श्रीपाल सिंह)
सिविल जज, (सी0डि0),
सहारनपुर।

Digitally signed by Shripal Singh
Date: 2022.12.21 17:25:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court